न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 872/2023
अनवान : –

1. हंसराम पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. काशीराम पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. चेनाराम पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राम कुमार पुत्र पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. नूरा पुत्री कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. हरेदई पुत्री कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 15/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 29/28 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की पूर्व में वादी के पिता कुम्भाराम के नाम दर्ज थी। कुम्भाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादी स0 5 व 6 जो की वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 5 व 6 ने उक्त भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 29/28 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दवे लेकिन आजदिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की पूर्व में वादी के पिता कुम्भाराम के नाम दर्ज थी। कुम्भाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादी स0 5 व 6 जो की वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 5 व 6 ने उक्त भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 29/28 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 29/28 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की पूर्व में वादी [illegible] कुम्भाराम के नाम दर्ज थी। कुम्भाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरास[illegible] 1 ता 6 प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादी स0 5 व 6 जो [illegible] वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 5 व 6 ने उक्त भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक त्याग रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 29/28 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 29/28 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 872 / 2023

अनवान : –

1. हंसराम पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. काशीराम पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. चेनाराम पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राम कुमार पुत्र पुत्र कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. नूरा पुत्री कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. हरेदई पुत्री कुम्भाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 872 सन 2023 निर्णय दिनांक 15/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविकान्त स्वामी राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 29 / 28 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1 / 5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:39 IST
Reason: SelfAttested